प्रेस नोट

दिनांक 24.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत थाना करनैलगंज की पुलिस बल द्वारा अर्धसैनिक बल (CISF) के साथ विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 24.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना करनैलगंज की पुलिस बल द्वारा त्योहारों होलिका दहन, होली, गुडफ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी, प्रचलित रमजान माह व लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अर्धसैनिक बल (CISF) के साथ थानों के विभिन्न ग्रामों/मोहल्लों/कस्बों में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान त्योहारों होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराने व लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 के दौरान आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, अवांछनीय व आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनाव में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनाकं – 24.03.2024

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-89/2024, धारा 323,308,304,504,201 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ ननकू उर्फ दुबे को कोयली जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2024 को वादी राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह नि0 नेवारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0देहात को सूचना दी गई कि भवानी पुत्र सोहन लाल व राजकुमार उर्फ ननकू उर्फ दुबे मेरे यहां मेरे खेतो का काम किया करते है दिनांक 16/17.03.2024 की रात्रि को आपसी विवाद के चलते राजकुमार उर्फ ननकू उर्फ दुबे ने भवानी के सिर में लकड़ी के फट्टे से वार कर घायल कर दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। भवानी पुत्र सोहन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आज दिनांक 24.03.2024 को पुलिस टीम द्वारा किए अथक प्रयास से वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ नक्कू उर्फ दुबे को कोयली जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. राजकुमार उर्फ नक्कू उर्फ दुबे पुत्र राम दुलारे निवासी नेवारी थाना को0 देहात जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0-मु0अ0सं0-89/2024, धारा 323,308,304,504,201 भादवि थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव कुमार राय।
02. का0 अनूप कुमार।
03. का0 जितेंद्र।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.03.2024

आगामी लोकसभा चुनाव व होली त्योहार के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर की गई कार्यवाही, 11 अभियुक्त गिरफ्तार 110 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद व भारी मात्रा में लहन नष्ट-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव व होली त्योहार को सकुशल ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व समस्त क्षेत्राधिकारीगणो के कुशल नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अपने- अपने थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। थाना धानेपुर पुलिस ने 05 अभियुक्तों-सुनील उर्फ लालमन पुत्र चंदर, 02. नवरंग लाल पुत्र आनंद सिंह, 03. मातबर पुत्र सोमई, 04. संतराम पुत्र मुसई, 05. भुल्लन सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा इटियाथोक पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में दबिश देकर 02 अभियुक्तों- 01. सुरेश कुमार पुत्र देवतादीन व गंगाराम पुत्र पंचम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई व थाना छपिया पुलिस ने अभियुक्त राम सुरेश पुत्र आज्ञाराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार का उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद की गई व थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में दबिश देकर भारी मात्रा में लहन व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।